प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' पैंतीस '

[26/3/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 4872]

प्रश्नकर्ता - श्री ~~सुन्दरलाल तिवारी~~ आरिफ अकील वर्मा

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र.4872 के प्रश्नांश अ का परिशिष्ट "अ"

26-03-18

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने हेतु अर्हताए

कमांक	योजनाऐं	अर्हताए
1	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम	शासकीय संस्थाओं में प्रसव कराने वाली प्रसूता
2	जननी सुरक्षा योजना	शासकीय संस्थाओं में संस्थागत प्रसव एवं घरेलू प्रसव (केवल बीपीएल)
3	एकीकृत रेफरल परिवहन	शासकीय संस्थाओं में संस्थागत प्रसव एवं जटीलता वाली गर्भवती महिलाऐं
4	प्रसूति अवकाश सहायता योजना	समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत चिन्हित श्रमिक संवर्ग के पंजीकृत हितग्राही

17/3/18

(डॉ अर्चना मिश्रा)
उपसंचालक, मातृ स्वास्थ्य

20/3/18

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

आशीष गोविंद शर्मा
प्रश्नकर्ता - श्री ~~कुंवर लाल तिवारी~~

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र.4872 के प्रश्नांश ख का परिशिष्ट "ब"
26-03-18

विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं हेतु संचालित योजना अतंर्गत निम्न सुविधाएं प्रदान की जाती है–

1. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम – प्रदेश में 1 जुलाई 2011 से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम संचालित है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं (जन्म से 1 वर्ष तक) के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराना है। जिसके अंतर्गत निम्न सेवाऐं प्रदान की जाती है–
   - निःशुल्क प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन
   - निःशुल्क आवश्यक प्रयोगशाला जांचें (हिमोग्लोबिन, यूरिन ब्लड ग्रुपिंग आदि) तथा सोनोग्राफी
   - निःशुल्क भोजन –
   - निःशुल्क रक्त व्यवस्था
   - निःशुल्क परिवहन व्यवस्था –
     – निवास से स्वास्थ्य संस्था तक आने के लिए
     – आवश्यकतानुसार उच्च स्वास्थ्य संस्था में रेफरल
     – डिस्चार्ज होने के पश्चात् स्वास्थ्य संस्था से निवास तक छोड़ने के लिए
   - आकस्मिकता की स्थिति में निवास से चिकित्सालय तक रेफरल परिवहन।

2. **जननी सुरक्षा योजना** – अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने पर निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:–
   - शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली महिला को रूपये 1000/–
   - ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली महिला को रूपये 1400/–
   - गर्भवती महिला को प्रसव हेतु अस्पताल आने के लिए जननी एक्सप्रेस की निःशुल्क सुविधा।
   - घर पर प्रसव होने पर बी.पी.एल. परिवार की गर्भवती महिला को रूपये 500/–

3. **एकीकृत रेफरल परिवहन** – वर्तमान में प्रदेश में एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली अंतर्गत दीनदयाल–108 सेवा (108–आपालकालीन एम्बुलेंस सेवा, जननी एक्सप्रेस सेवा, दीनदयाल चलित अस्पताल सेवा एवं हेल्थ हेल्प लाईन सेवा) का संचालन एकीकृत केन्द्रीय कॉल सेंटर से जिगित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड संस्था द्वारा निजी भागीदारी (पी.पी.पी. मोड) के अन्तर्गत किया जा रहा है। एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली द्वारा केन्द्रीय एकीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से उक्त सेवाओं अंतर्गत वाहनों का समुचित उपयोग किया जाकर अधिकाधिक हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदाय की जा रही है।

4. **प्रसूति अवकाश सहायता योजना** – समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नांकित 7 श्रमिक संवर्ग में पंजीकृत हितग्राही को संस्थागत प्रसव होने पर प्रसूता (पत्नी) को 45 दिवस तथा पति को 15 दिवस की मजदूरी/ प्रसूति अवकाश सहायता राशि का भुगतान किया जाता है।

20/3/18
A.Mishra 17/3/18

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

(डॉ अर्चना मिश्रा)
उपसंचालक, मातृ स्वास्थ्य